न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी श्री प्रेमाराम परमार, आर.ए.एस.

अपील संख्या 108/2016

बहादरराम पुत्र गुरदयालराम जाति नायक निवासी 1 के एस.एम. तहसील अनूपगढ जिला श्रीगंगानगर। ——अपीलार्थी

बनाम

1. मनोहरराम पुत्र गुरदयालराम जाति नायक निवासी 20ए.पी.डी. तहसील अनूपगढ जिला श्रीगंगानगर।
2. जगदीश पुत्र गुरदयालराम जाति नायक निवासी 20ए.पी.डी. तहसील अनूपगढ जिला श्रीगंगानगर।
3. भगवान पुत्र गुरदयालराम जाति नायक निवासी 20 ए.पी.डी. तहसील अनूपगढ जिला श्रीगंगानगर।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व अनूपगढ। ——रेस्पोंडेंट्स

अपील अर्न्तगत धारा 223 राज.काश्त. अधिनियम 1955

विरूद्ध आदेश उपखण्ड अधिकारी अनूपगढ दिनांक 08.08.2016

उपस्थितिः—

श्री राजीव जग्गा अभिभाषकगण अपीलार्थी

श्री सोहनलाल वर्मा अभिभाषक रेस्पों. सं. 1 से 3

श्री वेदप्रकाश शर्मा राजकीय अधिवक्ता

निर्णय दिनांक 21.05.2018

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि वादी/अपीलांट ने एक वाद न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अनूपगढ के समक्ष राज.काश्त.अधि. की धारा 53, 88 का पेश किया। वाद पेश होने पर प्रतिवादी सं. 1 से 3 ने जबाबदावा पेश किया तथा दिनांक 22.02.2016 को प्रतिवादी सं. 1 से 3 ने प्रा.पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी

21/5/18
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

पेश कर कथन किया कि विवादित भूमि चक 1 के.एस.एम. के मु.नं. 27 प.नं. 276/400 की 6.325है0 वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 से 3 के पिता गुरदयालसिंह के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी जिनकी मृत्यु के पश्चात वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 से 3 का विरासतन प्राप्त हुई। वादी एवं प्रतिवादीगण ने उक्त भूमि का किस्म अनुसार आपसी सहमति से बंटवारा कर लिया है एवं खाता विभाजन हो चुका है। इस सम्बन्ध में तहसीलदार अनूपगढ ने दिनांक 25.12.2010 व 05.01.2011 को आदेश पारित किया जिसकी पालना में इन्तकाल दर्ज हो चुका है। जिससे यदि वादी पीडित थे तो उसकी अपील करनी चाहिए थी। वादी को उक्त आदेश की पूर्व से ही जानकारी थी एवं वह आदेश अन्तिम हो चुका है। अतः वाद पत्र विधि वर्जित होने से खारिज किया जावे।

उक्त प्रा.पत्र का जबाब वादी /अपीलांट ने पेश कर कथन किया कि पक्षकारों की साक्ष्य आने के पश्चात ही वाद का निर्णय किया जावे एवं प्रा.पत्र खारिज करने का निवेदन किया।

सुनवाई करने के पश्तात अधी. न्यायालय ने दिनांक 08.08.2016 को प्रा.पत्र स्वीकार कर वाद खारिज कर दिया जिसके विरूद्ध वादी/अपीलांट ने यह अपील पेश की है।

उभयपक्ष की बहस सुनी।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में मुख्य रूप से अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधी. न्यायालय में वाद पेश होने पर जबाब दावा आ गया था। दावा एवं जबाब दावा के आधार पर तनकियात कायम कर उन पर साक्ष्य सबूत लेकर ही निर्णय करना चाहिए था जो अधी. न्यायालय द्वारा नहीं किया गया है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश निरस्त कर प्रकरण रिमाण्ड किया जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पों. ने अपनी बहस में कथन किया कि जब पक्षकारों में पूर्व में विभाजन हो चुका था एवं उसका राजस्व रिकार्ड में अंकन हो चुका है तो पुनः वाद वादी लाने का अधिकारी नहीं है। रेस्पों. ने प्रा.पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी

2/5/17
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

पेश किया जो अधी. न्यायालय ने स्वीकार करने में कोई भूल नहीं की। अतः अपील खारिज की जावे।

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

अधी. न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि पक्षकारों के मध्य तहसीलदार अनूपगढ के समक्ष राज.काश्त.अधि. की धारा 53(2) के तहत वाद पेश करने पर उक्त वाद का निर्णय तहसीलदार अनूपगढ द्वारा दिनांक 25.12.2010/ 05.01.2011 को किया जा चुका है जिसके साक्ष्य स्वरूप प्रमाणित प्रतिलिपि अधी. न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध है जिसका खण्डन अपीलांट द्वारा नहीं किया गया है। अतः उसी भूमि का पुनः बंटवारा का दावा पेश करना स्पष्ट रूप से Resjudicata की परिधि में आता है जो Barred by Law है। अतः अधी. न्यायालय ने सीपीसी के आदेश 7 नियम 11 सीपीसी का प्रा.पत्र सही रूप से स्वीकार कर दावा खारिज किया है। अतः इसी विवेचन अनुसार अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 21.05.2018 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

21/5/18

(प्रेमाराम परमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर